



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर
क्रमांक : एफ.1(ए)/104/सहा.प्र.अ./डीपीसी/2018-19/संस्था/बीमा/2018/

दिनांक : 17-09-2019

आदेश 302


इस विभाग के आदेश क्रमांक 196 दिनांक 31.07.2019 द्वारा निम्नांकित वरिष्ठ सहायक को वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पदोन्नत किया जाकर आदेश क्रमांक 274 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा उनके सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया गया था :

क्र.सं	नाम कर्मचारी	पदनाम	वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्तमान पदस्थापन	सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापन	पदोन्नति का परित्याग किये जाने की तिथि
1.	श्री धनपाल मीणा पुत्र श्री बजरंग लाल, अजजा	वरिष्ठ सहायक	सवाई माधोपुर	झुन्डुनू	06.09.2019
2.	श्री रमेश चन्द जाट	वरिष्ठ सहायक	सवाई माधोपुर	झुन्डुनू	06.09.2019
3.	श्री किशोर कान्त कटारिया	वरिष्ठ सहायक	भीलवाड़ा	मुख्यालय, जयपुर	13.09.2019

उक्त कार्मिकों द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पदोन्नति का परित्याग किया गया है। अतः इनका पदोन्नति का परित्याग उक्तानुसार उनके सम्मुख अंकित तिथि से स्वीकार किया जाता है तथा इनका वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन यथावत वर्तमान पदस्थापन स्थान पर रखा जाता है।

उक्त कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग किये जाने के फलस्वरूप उन्हें पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति हेतु विवर्जित किया जायेगा तथा इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(7) की अनुसूची(Schedule)-VI के बिन्दु संख्या 16 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(के. एम. डूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/सहा.प्र.अ./डीपीसी/2018-19/संस्था/बीमा/2018/7751-6/दिनांक : 17-09-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, भरतपुर/अजमेर संभाग/जिला कार्यालय सवाई माधोपुर/भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक द्वारा फोरगो किये जाने का इन्द्राज इनकी सेवा पुस्तिका में अंकित किया जावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
7. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक(संस्थापन),